न्यायालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति जिला रतलाम (म0प्र0)

RCMS प्रकरण क्रमांक 0104/अ–20(3)/2021–22

1. प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग
   भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन विभाग भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित आदेश दिनांक 23/09/2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रतलाम के द्वारा म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश – 2020 के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम कुआझागर तालाब योजना के डुब में आ रही 20.512 हे0 वन भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण की जाना प्रस्तावित की गई।

2– प्रकरण पंजीबद्ध कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्शन निर्देश 2020 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित), की कंडिका– 13(2), 13(3), 13(4) एवं 142 के तहत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रारूप दो में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा में प्रकरण में तहसीलदार पिपलौदा से जांच करवाई जाकर प्रतिवेदन अनुशंसा के आदेशिका दिनांक 22.04.2021 को प्रेषित किया गया। आदेशिका अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। भूमि आवंटन के संबंध में सर्वसंबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में अभिमत प्राप्त नहीं नजूल निर्वर्तन निर्देश–2020 की कडिका–48 (2झ) के अनुसार अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सचिव ग्राम पंचायत कंसेर के द्वारा दिनांक 28.04.2022 में कुआँझागर तालाब परियोजना के एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 20.512 है0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने में अनापत्ति होने का लेख है, एवं हस्तांतरित की जाने वाली भूमि नगर या ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा–13 (1) के तहत ग्राम विकास योजना 2021 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर स्थित होने से भूमि का निर्धारण प्रस्तावित नहीं किया है। राजस्व निरीक्षक/पटवारी के द्वारा प्रारूप–5 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि किसी अन्य प्रयोजन व आरक्षित/सुरक्षित नहीं है। भूमि वाजिब–उल–अर्ज में या निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है. भूमि श्मशान/कब्रस्तान/मरघट इत्यादि की नहीं है। भूमि पर रास्ता, सडक, पगडंडी मार्ग नहीं है, भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में नहीं है। प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात् भी बरागाह का रकबा 2 प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। कुआँझागर तालाब परियोजना एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 में से 20.512 है0 भूमि वन विभाग हेतु भूमि हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी के पत्र कमांक 4391/मा0चि0/2002 रतलाम दिनांक 03/12/2020 के द्वारा ग्राम कुआझागर तालाब निर्माण में 20.512 हे0 वन भूमि प्रभावित होने के एवज में ग्राम कंसेर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि रकबा 24.51 हे0 में से 20.512 हे0 शासकीय भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु सहमति दी गई है।

निरंतर.....2

RCMS प्रकरण क्रमांक 0104 /अ–20(3)/2021–22

3– प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा से प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी नजूल रतलाम के द्वारा नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब परियोजना के तहत पूर्व में कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख रतलाम के आदेश कमांक 733/भूअ0/वन.सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 से नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हे0 उपलब्ध कराई गई थी। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण कमांक 49/अ–20(3)/2017–18 पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब योजना) के डुब में आ रही वन भूमि कमशः 14.22, 15.00 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे0 के स्थान पर हेक्टर पर ग्राम कंसेर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि कमांक 118/4 रकबा 27.66 हे0 एवं सर्वे कमांक 118/3 रकबा 16.40 हे0 में से रकबा 1.57 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 22.00 हे0 भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार–2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की जाने से शेष भूमि 24.51 हे0 में से कुँआझागर तालाब परियोजना एवज में 20.512 हे0 भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष शासकीय भूमि रकबा 3.998 हे0 भूमि पुनःशासकीय अंकित किये जाने की अनुशंसा सहित नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।

4– मप्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 की कंडिका–8(3) के अंतर्गत गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा कुँआझागर तालाब परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि डुब में आने से उसके एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 हे0 में से कुँआझागर तालाब परियोजना के एवज में 20.512 हे0 भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष भूमि का 3.998 हे0 भूमि को पुनः शासकीय अंकित किये जाने की स्वीकृति कंडिका–14 के अनुसार समिति द्वारा कार्रवाई विवरण दिनांक 02/06/2022 की मूल प्रति प्रकरण के संलग्न हैं ।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं प्रभारी अधिकारी नजूल के अभिमत के आधार पर एवं कलेक्टर भू–अभिलेख रतलाम के आदेश कमांक 733/भूअ0/वन. सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 आदेशानुसार नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाब, कालीयाखोह तालब एवं बाणदा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हे0 भूमि उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण कमांक 49/अ–20(3)/2017–18 से पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाब एवं रावटी वाला नाला (डाबडी तालाब योजना) के डुब में आ रही वन भूमि कमशः 14.22, 15.00 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे0 के बदले में ग्राम कंसेर तहसील पिपलोदा की शासकीय भूमि कमांक 118/4 रकबा 27.66 हे0 एवं सर्वे कमांक 118/3

निरंतर.....3

RCMS प्रकरण क्रमांक 0104 /अ–20(3)/2021–22

रकबा 16.40 हे0 में से रकबा 1.56 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे0 भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार–2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की गई जाने से ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 हे0 शेष रही भूमि में से ग्राम कुआँझागर तालाब परियोजना अन्तर्गम वन विभाग की भूमि डुब में आने से वन भूमि के बदले रकबा 20.512 हे0 भूमि को म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 के अध्याय–2 की कंडिका (16) के तहत म0प्र0 शासन द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन विभाग भोपाल को निम्न शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि जिसकी सीमाएं आवद्ध रेखांक चिन्हित की गई है, जिसे नक्शे में लालस्याही से अंकित किया गया है तथा शेष भूमि रकबा 3.998 हे0 भूमि पुनः शासकीय अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. **राज्य शासन के किसी विभाग को कंडिका 17 के अंतर्गत हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण नहीं होगा।**
2. **भूमि का उपयोग कंडिका 18 (1) के अंतर्गत 03 वर्ष के भीतर नही करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी।**
3. **भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरण की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जावेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी।**

यह आदेश आज दिनांक 23/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)
कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वर्तन समिति
जिला रतलाम म.प्र.

पृ0 क्रमांक 3899/रीडर–1/2022 रतलाम, दिनांक 26/9/2022

प्रतिलिपी–

1. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन विभाग भोपाल ।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा।
6. जिला वनमण्डल अधिकारी, जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. नजूल अधिकारी, रतलाम।
8. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।
9. तहसीलदार पिपलोदा की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख हे कि, आदेशानुसार आंवटित की जाने वाली भूमि का आधिपत्य जिला वनमण्डल अधिकारी जिला रतलाम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर सौंपे तथा शासकीय भू–अभिलेख खसरा नक्शे में अमल दरामद किया जाकर कब्जा रशीद सहित प्रकरण वापस लोटावे। साथ हि मोजा पटवारी शेष भूमि को राजस्व अभिलेख में शासकीय अंकित करे।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम (म.प्र.) आवक क्र. 1768 दिनांक 20/9/22

पृ. क्रमांक 2428/कामी कुआझागर-वन भूमि/2022
रतलाम दि 10/10/22
प्रतिलिपि
अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपखण्ड सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)
कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वर्तन समिति
जिला रतलाम म.प्र.

(पी.के. खरत)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, रतलाम

Forest Kuagliya
11/11/22

468
11/11/22